उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या: 28 /2019/1789/सत्रह-म-2019-6-9(195)/2017

लखनऊ:दिनांक 31 दिसम्बर,2019

कार्यालय- आदेश

मा0 मंत्रीगण द्वारा अपने अधीनस्थ मा0 राज्य मंत्रीगण को विभागीय कार्य आवंटित किये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश 1982 के अनुदेश -53(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मा0 मत्स्य मंत्री जी द्वारा मा0 राज्य मंत्री, मत्स्य विभाग को निम्नवत कार्य आवंटित किया जाता है:-

1- मत्स्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा नियमावली सम्बन्धी।
2- उपर्युक्त के सेवा सम्बन्धी वाद।
3- ड्राफट पैरा/आडिट पैराज /आडिट आपत्तियों का सम्पूर्ण कार्य।
4- उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित विधान सभा/ विधान परिषद प्रश्न।
5- कार्यालय भवनों के किराये के निर्धारण से सम्बन्धित कार्य ।
6- मा0 मत्स्य मंत्री द्वारा सौपे गये अन्य कार्य ।

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28/2019 /1789 (1)/सत्रह -म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव मा0 मंत्री, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव मा0 राज्य मंत्री, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मा0 मंत्री /मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं समस्त मा0 राज्य मंत्री के निजी सचिव।
7- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
8- कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
10- उ0प्र0 विधानससभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
12- निदेशक/संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
13- विशेष सचिव/ अनुसचिव, मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन।
14- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
15- गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या 3/1/1/2007-सी एक्स (1) दिनांक 02 जून,2017
16- मत्स्य उत्पादन अनुभाग।
17- निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।